भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-एल.डी.-अ.-27072022-1142 SG-LD-E-27072022-1142

असाधारण EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 26 जुलाई, 2022 LADAKH, TUESDAY, JULY, 26, 2022

Part II - Section 3

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

> गृह विभाग अधिसूचना

लद्दाख ०६ जून २०२२

निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2022 सा.का.नि. ७६:- निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम 2005 (2005 का 29) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य लद्दाख के प्रशासक ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं, यथा :-

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारंभ.-** (1). इन नियमों को लद्दाख निजी सुरक्षा एजेंसी (नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

- (2) यह सम्पूर्ण संघ राज्य लद्दाख में लागू है।
- (3) यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन के छह महीने की समाप्ति पर लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएँ.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) ।
 - (ख) "एटीएम " का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन है जो नकद वितरित करता है और साथ ही अन्य बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है जब किसी बैंक का खाताधारक उसमें बैंक कार्ड डालता है।

स्पष्टीकरण, "बैंक कार्ड" में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों शामिल हैं।

- (ग) "नकद प्रबंधन एजेंसी", "नकद पुनःपूर्ति एजेंसी" या "कैश-इन ट्रांजिट एजेंसी" का अर्थ किसी नाम से जानी जाने वाली एजेंसी या निकाय हैं और नकद परिवहन गतिविधियों में शामिल हैं।
- (घ) "नकद परिवहन गतिविधियों" का अर्थ है नकद, जैसे कि नोट, सिक्के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मूल्य से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर असल अंतरण जिसमें नकद जमा करना और एटीएम से नकद निकलना यह सब शामिल है।
- (ड) "निजी सुरक्षा" या "निजी सुरक्षा एजेंसी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (F) या खंड (G) में दिया गया है;
- (च) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों से जुड़ी अनुसूची है।

3. नकद परिवहन गतिविधियों आदि के लिए निजी सुरक्षा.-

- (1) निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा नकद परिवहन के लिए कोई निजी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास अधिनियम के तहत लाइसेंस न हो ।
- (2) नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित एजेंसी के मध्य एक अनुबंध दर्ज किया जाएगा ।
- (क) निजी सुरक्षा एजेंसी जो अधिनियम के तहत लाइसेंस रखता है और संबंधित बैंक ।
- (ख) कैश हैंडलिंग एजेंसी और संबंधित बैंक:

यदि नकद प्रबंधन एजेंसी अधिनियम के तहत एक निजी सुरक्षा एजेंसी के रूप में लाइसेंस रखती है, तो ऐसी नकद प्रबंधन एजेंसी स्वयं इन नियमों के अनुसार नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

4. विशेष रूप से डिजाइन किए गए नकद वैन का उपयोग.-

- (1) कोई भी निजी सुरक्षा एजेंसी नकद परिवहन गतिविधियों के लिए किसी बैंक या कैश हैंडलिंग एजेंसी को निजी सुरक्षा या निजी सुरक्षा गार्ड प्रदान नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी गतिविधियां उसके, बैंक के या कैश हैंडलिंग एजेंसी के स्वामित्व वाले पहली अनुसूची के अनुसार डिज़ाइन और शर्तों का अनुपालन करने वाले एक सुरक्षित नकद वैन में नहीं की जाए।
- (2) निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा नकद परिवहन गतिविधियों के लिए किसी टैक्सी या किराए के वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा:

ऐसे वाहन जो निजी सुरक्षा एजेंसी, बैंक या कैश हैंडलिंग एजेंसी के साथ दीर्घकालिक अनुबंध पर है और उप-नियम (1) के तहत निर्धारित डिज़ाइन और विनिर्देशों की शर्तों का अनुपालन करता है, निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपयोग किया जा सकता है परंतु किसी दूरस्थ स्थान जहां निजी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद न हो और नकद सुविधाए भी न हो तो, ऐसे स्थान पर कोई भी वाहन स्थानीय पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अपवाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

5. प्रति नकद वैन में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या.-

- (1) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट के अनुसार, निजी सुरक्षा एजेंसी अपने द्वारा सीधे नियुक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या के साथ नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा प्रदान करेगी।
- (2) प्रत्येक नकद वैन में प्रत्येक नकद परिवहन गतिविधियों के लिए, अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण रखने वाले निम्नलिखित न्यूनतम कर्मचारी होंगे, यथा:-
 - (i) चालक- एक;
 - (ii) सशस्त्र स्रक्षा गार्ड दो और
 - (iii)एटीएम अधिकारी या संरक्षक दो ।
- (3) कैश वैन को हमेशा कम से कम दो प्रशिक्षित सशस्त्र सुरक्षा गार्डों द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा- बशर्ते कि नकद वैन पर दो से अधिक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जा सके, जो नकदी की मात्रा के आधार पर और व्यक्तिगत कंपनी के बीमा दिशानिर्देशों या ग्राहक अन्बंध या इलाके के अनुसार हो।
- (4) जहां नकद वैन एक मध्यम मोटर वाहन है, वहां एक सशस्त्र गार्ड चालक के साथ आगे और दूसरा वैन के पीछे के हिस्से में बैठेगा। पारगमन, नकद जमा करते-निकलते और शौच

जाते और चाय या लंच ब्रेक के दौरान नकद वैन के साथ कम से कम एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड हर समय मौजूद रहेगा।

- (5) इन नियमों में किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, पात्र पूर्व सैनिक, अन्यथा योग्य व्यक्तियों को नकद परिवहन गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
- 6. कर्मियों की पूर्ववृत्त जांच- (1) कोई भी निजी सुरक्षा एजेंसी नकद परिवहन गतिविधियों के लिए किसी भी कर्मचारी को नियुक्त या तैनात नहीं करेगी, जब तक कि अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मियों की पूरी तरह से पूर्ववृत्त जांच नहीं की गई है और नियुक्ति से पहले उसका उचित केवाईसी सत्यापन और पुलिस सत्यापन नहीं किया गया है। व्याख्या। –इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "केवाईसी" का अर्थ है किसी एजेंसी या व्यवसाय की 'अपने ग्राहक को जानें' प्रक्रिया और एजेंसी या व्यवसाय के द्वारा एजेंसी या व्यवसाय से संबद्ध या संबद्ध होने वाले ग्राहकों की पहचान और सत्यापन।
- (2) प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी नकद परिवहन गतिविधियों में भाग लेने के लिए और किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले निम्नलिखित जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगी: यथा:
 - (क) पुलिस मंजूरी प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति को नियुक्ति से पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा ।
 - (ख) निवास सत्यापन- नकद परिवहन गतिविधियों संबंधी नियुक्ति के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी सामान्य आचरण जांच सिहत प्रत्येक व्यक्ति के आवासीय पते का भौतिक सत्यापन करने के लिए स्वयं के संसाधनों का उपयोग करेगी और व्यक्ति को नियुक्ति या तैनाती से पूर्व सुरक्षा एजेंसी को पिछले कम से कम तीन साल के आवासीय पते का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (ग) पिछले नियोक्ता की जांच- निजी सुरक्षा एजेंसी व्यक्ति के पिछले नियोक्ताओं, यदि कोई है तो उसका जांच करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करेगी।
 - (घ) आधार जांच- नकद परिवहन गतिविधियों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का आधार सत्यापन भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नंबर के माध्यम से पूर्ववृत्त सत्यापित किया जाएगा।
 - (ड) क्रेडिट इतिहास की जांच- निजी सुरक्षा एजेंसी नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की क्रेडिट इतिहास की जांच करेगी ताकि किसी ऋण चूककर्ता व्यक्ति को नियुक्त न किया जाए।
 - (च) निष्ठा बीमा- निजी सुरक्षा एजेंसी नकद परिवहन गतिविधियों के लिए नियुक्त या तैनात प्रत्येक कर्मियों के संबंध में एक निष्ठा बीमा प्राप्त करेगी।
- 7. कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण.- निजी सुरक्षा एजेंसी सुनिश्चित करें कि नकद परिवहन गतिविधियों के लिए नियुक्त प्रत्येक कर्मियों को निम्नवत प्रदान किया जाए-

- (क) दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी गतिविधियों की स्रक्षा और स्रक्षित संचालन के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र;
- (ख) प्रत्येक दो वर्षों में एक बार प्नश्चर्या प्रशिक्षण।
- 8. संचालन के दौरान नकद वैन की लाइव जीपीएस ट्रैकिंग.-
 - (1) प्रत्येक नकद परिवहन गतिविधि केवल सुरक्षित जीपीएस ट्रैकिंग लगाए गए नकद वैन में ही की जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "जीपीएस" का अर्थ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो एक अंतरिक्ष-आधारित दिशानिर्देशन प्रणाली है जो हर मौसम और हर स्थिति में स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है।

- (2) निजी सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि नकद परिवहन गतिविधियों के दौरान प्रत्येक नकद वैन की हर समय संचार प्रोटोकॉल के माध्यम से निगरानी की जाए।
- 9. एक नकद वैन में अधिकतम नकदी ले जाने की सीमा के लिए दिशानिर्देश.-
 - (1) नकद परिवहन गतिविधियों में शामिल निजी सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी नकद वैन प्रति ट्रिप पांच करोड़ रुपये से अधिक नकद ना ले जा सके।
 - (2) निजी सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रति ट्रिप दस लाख रुपये से अधिक की नकदी ले जाने के लिए स्रक्षित नकद वैन तैनात की जाए।
- 10. बैंक मुद्रा को ओवरनाइट तिजोरी में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी कैश वॉल्ट के लिए विनिर्देश निजी सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि गिनती, छँटाई और बंडलिंग गतिविधियों सहित सभी नकद संचालन निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित की जाए, यथा-
 - (क) निजी नकद तिजोरी परिसर का स्थान- नकदी संचालन गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर बैंक के नकद निकासी केंद्र या पुलिस स्टेशन के करीब के क्षेत्रों सिहत गतिविधियों/ संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अनुसार स्थित होना चाहिए और खराब कनेक्टिविटी वाले एकांत क्षेत्रों से बचा जाना चाहिए;
 - (ख) परिसर का डिजाइन- परिसर को दो स्वतंत्र क्षेत्रों को शामिल करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया जाएगा, एक सामान्य कार्यालय के उद्देश्य के लिए और दूसरा सुरक्षित नकद प्रसंस्करण और संचालन गतिविधियों के लिए। इसमें नकद जमा, संग्रह, छंटाई, गिनती, वितरण और स्रक्षित नकद वैन पर नकद प्रेषण के लिए स्थान होगा।
 - (ग) नकद तिजोरी निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार नकद तिजोरी के लिए निर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र को नकदी रखने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, यथा:

- (i) दस करोड़ रुपये से कम की सीमित ओवरनाइट वॉल्टिंग आवश्यकताओं वाले छोटे शहरों में, डिफेंडर तिजोरियों के साथ एक स्ट्रांग रूम।
- (ii) दस से एक सौ करोड़ रुपये के बीच ओवरनाइट वॉल्टिंग आवश्यकताओं वाले संचालन केंद्रों पर, सी क्लास वॉल्ट के लिए निर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अन्सार वॉल्टिंग स्विधा ।
- (iii) एक सौ करोड़ रुपये से अधिक की ओवरनाइट वॉल्टिंग आवश्यकताओं वाले बड़े परिचालन केंद्रों पर, संबंधित बैंक के परामर्श से वॉल्टिंग स्विधा में वृद्धि और;
- (iv) सभी ओवरनाइट वॉल्टिंग सुविधाओं में विभिन्न बैंकों की मुद्रा को अलग और विशिष्ट डिब्बे में स्टोर करने का प्रावधान होगा ।
- (घ) नकद तिजोरी की सुरक्षा निजी सुरक्षा एजेंसी बैंक की ओर से नकदी के सुरक्षित संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली तिजोरी के निम्नलिखित सुरक्षा पहलुओं को स्निश्चित करेगी, यथा-
- (i) पर्याप्त संख्या में निजी सुरक्षा सशस्त्र गार्ड का चौबीसों घंटे तैनात किया जाना । (ii) परिसर का 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में होना ।
 - (iii) नकद तिजोरी के साथ कम से कम नब्बे दिनों की रिकॉर्डिंग सुविधा वाले पर्याप्त संख्या के सीसीटीवी प्रणाली के कैमरों की उपलब्धता ।
 - (iv) नकद तिजोरी पर गतिविधियाँ दोहरी अभिरक्षा के आधार पर होना I
 - (v) मुख्य नकद तिजोरी क्षेत्र सभी सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करता है, जैसे अग्निशामक प्रणाली, धुआं पहचान प्रणाली, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, वाहनों की आवाजाही की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष, ऑटो-डायलर और चोरों से सुरक्षा की प्रणाली।
 - (vi) GSM आधारित ऑटो डायलर वाले सुरक्षा अलार्म के साथ, आग और चुंबकीय सेंसर का होना ।
 - (vii) नकदी के निकालने और जमा करने के क्षेत्र में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा की सुविधा का होना ।
 - (viii) नकद तिजोरी के अंदर बिजली की आपूर्ति प्लग-इन, प्लग आउट प्रणाली द्वारा प्रदान किया जाना ।
 - (ix) नकद तिजोरी के अंदर नग्न प्रकाश ले जाने से मनाही और आपातकालीन स्थिति में सूखी बैटरी से परिचालित टॉर्च या आपातकालीन प्रकाश स्रोतों का प्रयोग किया जाना।
 - (x) इन्वर्टर की सहायता से आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का सुरक्षा कर्मचारियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना ।

(xi) नकद प्रसंस्करण और तिजोरी क्षेत्रों में इंटरलॉकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रतिबंधित और नियंत्रित प्रणाली का मौजूद होना। स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सीसीटीवी का अर्थ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है, जो एक स्व-निहित निगरानी प्रणाली है जिसमें स्टोर या कंपनी की गतिविधियों की निगरानी के लिए कैमरे, रिकॉर्डर और प्रदर्शन की स्विधा भी शामिल हो।

11. जोखिम कम करने के उपाय.-

- (1) निजी सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी सुरक्षा के भीतर आने वाले एटीएम में चोरी और एटीएम धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संयोजन ताले लगे हों।
- (2) एटीएम मशीन में जमा करने वाले नोट बैंक से एक दिन पहले एकत्र किया जाए तािक उप नियम (3) में निर्धारित नियमों के अनुसार एटीएम समय पर शुरू किया जा सके।
- (3) निम्नितिखित समय पर एटीएम में कोई नकद जमा या नकद परिवहन गतिविधियाँ नहीं की जाएंगी.-
- (i) शहरी क्षेत्रों में रात 9 बजे के बाद;
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद; तथा
- (iii) केंद्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडबल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित जिलों में सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद।

प्रथम अनुसूची नियम 4(1) देखें

सुरक्षित नकद वैन के लिए डिजाइन और विनिर्देश

(क) निर्माण संबंधी विशेषताएं- नकद वैन:-

- (i) हल्का वाणिज्यिक वाहन हो, जिसकी इंजन क्षमता 2200 सीसी से कम न हो और टर्बोचार्ज्ड हो ।
- (ii) सात वर्ष से अधिक पुराना न हो।
- (iii) ट्यूबलेस टायर हों I
- (iv) 190 एमएम से कम का ग्राउंड क्लीयरेंस न हो; तथा
- (v) कम से कम पांच यात्रियों के बैठने की जगह हो I
- (ख) संरचना.- नकद वैन में नकद रखने के लिए एक अलग डब्बा हो जो यात्री खंड की तरफ से बंद हो।

(ग) नकद डिब्बा सुरक्षा.-

- (i) नकद डिब्बा बाहर से बंद हो और केवल अंदर की ओर से हाथों या इलेक्ट्रॉनिक ताले से ही संचालित किया जा सके। नकद डिब्बा केवल एक दरवाजे वाला और ग्रिल गेट के साथ स्टील के साथ विशेष रूप से प्रबलित किया गया हो।
- (ii) उचित दृश्यता, परिचालन व्यवहार्यता और सीसीटीवी निगरानी के लिए कैश डिब्बे का प्रवेश दवार पीछे की ओर से हो ।
- (iii) सभी खिड़िकयों और विंड स्क्रीन को तारों की जाली से सुरक्षित किया जाए जिनमें आपस का फासला एक वर्ग इंच से अधिक ना हो और प्रत्येक खिड़की की जाली में हथियारों के उपयोग के लिए छह इंच का छेद उपलब्ध हो।
- (iv) हूटर चलाने के लिए पैनिक स्विच चालक और अन्य सवारियों के पास उपलब्ध हो। (घ) नकद डिब्बा सुरक्षा.- प्रत्येक नकद डिब्बे को अलग-अलग जंजीरों के साथ फर्श पर सुरक्षित किया जाए और इनमें ताले लगे हों, जिन्हें केवल अभिरक्षकों के पास रखी गई अलग-अलग चाबियों का उपयोग करके खोला या बंद किया जा सके और प्रत्येक बैंक के लिए नकद, बैंक का नाम लिखे हुए अलग-अलग डिब्बों में ले जाया जाए।

(ड) अन्य सुरक्षा विशेषताएं.-

- (i) कैश वैन में कम से कम पांच दिनों की रिकॉर्डिंग सुविधा वाले तीन छोटे सीसीटीवी कैमरे केबिन के आगे, पीछे और अंदर लगाए जाएं।
- (ii) मोटर चालित सायरन और जीएसएम आधारित ऑटो-डायलर के साथ एक सुरक्षा अलार्म प्रदान किया जाए।
- (iv) हमले की स्थिति की तैयारी की दृष्ठि से कैश वैन को हूटर, अग्निशामक और आपातकालीन रोशनी से लैस रखा जाए।

द्वितीय अनुसूची [नियम 7(1)(a)देखें]

नकद परिवहन गतिविधियों में नियुक्त किए गए कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण

(क) नकद प्रबंधन और नकद परिवहन गतिविधियों की मूल बातें.-

- (i) सेवा का दायरा I
- (ii) टीम का गठन I
- (iii) चालक, सशस्त्र स्रक्षा गार्ड, नकद संरक्षक की भूमिका ।
- (lv) नकद वैन की कार्यप्रणाली l
- (v) संबंधित एजेंसियों के संपर्क सूत्र का ब्योरा I
- (vi) अंतर्ग्रस्त खतरे और जोखिम ।
- (vii) रिपोर्टिंग प्रक्रिया I

(ख) खतरा और जोखिम.-

- (i) आपराधिक और शरारती कार्रवाई I
- (ii) वाहन सवार अपराधियों द्वारा पीछा किया जाना I
- (iii) स्थिर एवं चलते वाहनों को विशिष्ट ख़तरे ।
- (iv) अंदरूनी खतरे I
- (v) टीम के सदस्यों द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार ।
- (vi) मृत्यु और चिकित्सा आपात ।
- (vii) सड़क दुर्घटना और वाहनों का खराब होना I
- (viii) आग दुर्घटना ।

(ग) नकद वैन की सुरक्षा.-

- (i) नकदी और क़ीमती सामान ले जाने वाली नकद वैन की अंतर्निहित सुरक्षा स्विधाएँ।
- (ii) नकदी और कीमती सामान ले जाने के लिए नकद डिब्बे।
- (iii) तालाबंदी और सुरक्षा प्रणालियाँ I
- (iv) हथियार और गोला-बारूद I
- (v) संचार उपकरण I
- (vi) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ।
- (vii) अग्निशामक I
- (viii) संकट अलार्म I
- (ix) चिकित्सा किट I

(घ) एजेंसियां.-

- (i) निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) के तहत नियंत्रण प्राधिकरण।
- (ii) पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन, पुलिस हेल्पलाइन।
- (iii) संचालन प्रबंधक और नियंत्रित पर्यवेक्षक ।
- (iv) संबंधित बैंक प्रतिनिधि।
- (v) एम्ब्लेंस और अस्पताल सेवाएं।

(ड) हथियार, गोला-बारूद और दस्तावेज.-

- (i) गार्डों को न्यूनतम 12 बोर डीबीबीएल शॉट गन प्रदान की जाए। बंदूक का परीक्षण दो साल में कम से कम एक बार किया जाए। बंदूक की कार्ट्रिज को 02 वर्ष में एक बार बदला जाए। बंदूक को सरकार द्वारा अनुमोदित आर्मरर द्वारा जांचा और प्रमाणित किया जाए।
- (ii) अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान पहचान पत्र के तोर पर बंदूक लाइसेंस और दस्तावेज़ों का होना ज़रूरी है ताकि हथियारों को ले जाने की अन्मति प्राप्त की जा सके ।
- (iii) शरारती तत्वों द्वारा उठाए गए असली हथियार।
- (iv) अन्य वस्तुएं जिनका उपयोग शरारती तत्वों द्वारा हथियार के रूप में किया जा सकता है।

(च) आपातकालीन और घटना प्रतिक्रिया.-

- (i) संकट अलार्म प्रक्रिया।
- (ii) संबंधित एजेंसियों से मदद मांगना।
- (iii) अपराधियों और शरारती तत्वों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले हथियार।
- (iv) टीम के सदस्यों और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- (v) स्थिति से बाहर आकार वाहन को स्रक्षा की ओर ले जाना।
- (vi) घायलों की निकासी ।

(छ) अन्य आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रियाएं.-

- (i) पूर्ववृत्त जाँच प्रक्रिया।
- (ii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) और लाभ
- (iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) और लाभ।

- (iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) और लाभ।
- (v) अवकाश पात्र और आवेदन प्रक्रिया।
- (vi) अन्य कंपनी के नियम।
- (vii) कर्मचारी के रूप में दायित्व ।

PRIVATE SECURITY AGENCIES (PRIVATE SECURITY TO CASH TRANSPORTATION ACTIVITIES) RULES, 2022.

- **S.O. 76:** "In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005), the Administrator of the Union territory of Ladakh hereby makes the following Rules, namely:-"
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ladakh Private Security Agencies (Private Security to Cash Transportation Activities) Rules, 2022.
 - (2) It extends to the whole of Union Territory of Ladakh.
- (3) These rules shall come into force on the expiry of six months of their publication in the Official Gazette.
 - 2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005);
- (b) "ATM" means the automatic teller machine that dispenses cash or performs other banking

services when an account holder of any bank inserts a Bank card therein;

Explanation—for the purposes of this clause, "Bank card" includes credit card or debit card;

- (c) "cash handling agency", "cash replenishment agency" or " cash-in transit agency" means
 - an agency or entity, by whatever name called, engaged in cash transportation activities;
 - (d) "cash transportation activities" means the physical transfer of cash, such as banknotes,
 - coins, credit card, debit card or other items of value from one location to another, and includes

loading cash in to, or unloading cash from, an ATM machine;

- (e) "private security" or "private security agency" shall have the same meaning as assigned
 - to it in clause (f) or clause (g) of section 2 of the Act;
 - (f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Private Security for cash transportation activities, etc.-

- (l) No private security shall be provided by the private security agency for cash transportation activities unless he holds a license under the Act.
- (2) For the purpose of providing private security for cash transportation activities, a contract may be entered into between.-
 - (a) a private security agency holding a license under the Act and the bank concerned; or
 - (b) a cash handling agency and the bank concerned:

Provided that in case the cash handling agency holds a license as a private security agency under the provisions of the Act, such cash handling agency may itself provide the private security to cash transportation activities in accordance with the provisions of these rules.

4. Use of specially designed and fabricated cash van.-

- (1) No private security agency shall provide private security or private security guards to a Bank or a cash handling agency for cash transportation activities, unless such activities are carried out in a secured cash van, which complies with the conditions for design and specification specified in the First Schedule, owned by it or owned by the Bank or the cash handling agency, as the case may be.
- (2) No taxi or hired vehicle shall be used for cash transportation activities by the private security
- agency:

Provided that a vehicle which is on long term contract with the private security agency or Bank or cash handling agency and the vehicle complies with the conditions for design and specification

laid down under sub-rule (1) may be used by the private security agency;

Provided further that in case of any remote location where private security agencies are not present and not serviced by a currency chest, any vehicle at such location may be used as an exception under the strict security control and support of the local police.

5. Requisite number of trained staff per cash van.-

- (1) The private security agency shall provide the private security for the cash transportation activities with the requisite number of trained staff, directly appointed or engaged by the private security agency, as specified in sub-rule (2).
- (2) Every cash van shall have the following minimum staff, possessing the qualifications and training laid down under section 10 of the Act, on board for every single cash transportation activity, namely:
 - (i) Driver one;
 - (ii) Armed security guards two; and
 - (iii) ATM officer or custodian two.
 - (3) The cash van shall always be escorted by at least two trained armed security guards on

board:

Provided that more than two-armed security guard may be deputed on a cash van depending on the amount of cash carried and in accordance with the individual company's insurance guidelines or client contract or terrain of operation.

- (4) Where the cash van is a medium motor vehicle, one armed guard shall sit in the front
- along with the driver and another in the rear portion of the van and while in transit, loading or unloading, nature's call, tea or lunch break, at least one-armed security guard shall remain present with the cash van all the time.
- (5) Notwithstanding any other provision in these rules, the ex-serviceman, otherwise eligible, may preferably be appointed or engaged by the private security agency for providing security for cash transportation activities.

6. Antecedent check of personnel.- (l) No private security agency shall appoint or engage or deploy any personnel for the cash transportation activities, unless such personnel have undergone thorough antecedent check and his proper KYC verification and police verification is done, before appointing or engaging or deploying them by the agency, in accordance with the provisions of the Act or any other law for the time being in force.

Explanation. —For the purposes of this sub-rule, the expression "KYC" means the know

your customer process of an agency or business identifying and verifying the identity of

its clients or person associated or to be associated with the agency or business.

(2) Every private security agency shall be responsible to comply with the following checks

before an individual is appointed or engaged to participate in cash transportation activities,

namely:-

- (a) police clearance certificate every individual shall obtain the police clearance certificate from his local police station before appointment or engagement;
- (b) residence verification the private security agency shall use its own resources to conduct a physical verification of the residential address of every individual, including general conduct check and the individual shall furnish to the security agency the proof of residential address of at least three years before appointment or engagement for the cash transportation activities;
- (c) previous employer check the private security agency shall use its own resources to conduct reference check with previous employers of the individual, if any;
- (d) Aadhaar verification each individual appointed or engaged for the cash transportation activities shall be antecedent verified through Aadhaar number from the Unique Identification Authority of India;
- (e) credit history check the private security agency shall conduct a credit history check of every individual appointed or engaged to ensure that willful credit defaulters are not appointed or engaged for the cash transportation activities;
- (f) fidelity insurance the private security agency shall obtain a fidelity insurance in respect of every personnel appointed or engaged for the cash transportation activities.
- 7. Adequate training and certification of personnel.- The private security agency shall ensure that every personnel appointed or engaged for cash transportation activities shall be imparted,-
 - (a) the training and certified for the security and safe handling of such activities as per the
 - requirements of training laid down in the Second Schedule;
 - (b) the refresher training once in every two years.

8. Live GPS tracking of cash van during operations.-

(l) Every cash transportation activity shall be carried out only in secured cash vans fitted with GPS tracking device.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "GPS" means the global

positioning system which is a space-based navigation system that provides location and time

information in all weather conditions, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites.

(2) The private security agency shall ensure that each cash van shall be monitored at all times

during cash transportation activities through a redundant communications protocol.

9. Guideline for maximum cash carrying limit in a single cash van.-

(1) The private security agency involved in cash transportation activities shall ensure that

no cash van carries cash of more than five crores rupees per trip.

(2) The private security agency shall ensure that secured cash van shall be deployed for carrying cash of more than ten lakh rupees per trip.

10. Specification for private cash vaults used for holding and overnight vaulting of Bank

currency.- The private security agency shall ensure that all cash handling, including counting,

sorting, and bundling activities shall be carried out in secured premises in accordance with the following guidelines, namely:-

(a) Location of private cash vault premises - the premises used for cash handling activities shall be located to ensure safety of activities/ operations, including areas closer

to bank's cash withdrawal center or police station and secluded areas with poor connectivity be avoided;

- (b) Design of premises the premises shall be designed to include two physically independent areas, one for general office purpose and other for secured cash processing
- and handling activities and it shall accommodate space for cash deposit, collection, sorting, counting and delivery and dispatch of cash on secured cash vans;
- (c) Cash vault a secured area shall be designed to store cash to meet with the requirement of the Reserve Bank of India specified for cash vaults in accordance with the following specifications, namely:-
 - (i) in smaller cities with limited overnight vaulting requirements of less than ten

crores rupees, a strong room with defender safes;

(ii) at operation centers with overnight vaulting requirements between ten to one

hundred crore rupees, vaulting facility as per the norms of the Reserve Bank of India specified for C Class vaults;

(iii) at large operation centers with overnight vaulting requirements of more than

one hundred crore rupees, increased vaulting facility in consultation with the concerned Bank; and

- (iv) all overnight vaulting facilities shall have provision to store currency of multiple Banks in separate and exclusive bins;
- (d) Security of cash vault the private security agency shall ensure the following security aspects at its cash vault used for secured handling of cash on behalf of the Bank,

namely:-

- (i) adequate number of armed private security guards are deputed round the clock;
 - (ii) premises is under 24x7 electronic surveillance and monitoring;
- (iii) cash vault is provided with CCTV system with adequate number of cameras

having at least ninety days recording facility;

- (iv) the activities at cash vault is undertaken under dual custody basis;
- (v) the main cash vault area complies with all safety norms, like firefighting systems, smoke detection systems, emergency lighting, control room for monitoring the movement of vehicles, auto-dialer and burglar security systems;
- (vi) security alarm with GSM based auto dialer, fire and magnetic sensor are installed;
- (vii) the loading and unloading area of cash is covered by night vision CCTV cameras;
- (viii) electric power supply inside the cash vault is provided through plug-in,

plug-

out system;

- (ix) carrying of naked light inside the cash vault is strictly prohibited and dry battery operated torches or emergency lights are used inside strong rooms;
- (x) emergency lighting with the help of inverter shall always be available to

the

security staff; and

(xi) cash processing and vault areas shall have restricted and controlled access, preferably through interlocking systems and frisking.

Explanation - For the purposes of this rule, the expression "CCTV" means the closed circuit television which is a self-contained surveillance system comprising cameras, recorders and displays for monitoring activities in a store or company.

11. Measures for risk mitigation.-

- (1) The private security agency shall ensure that the ATM under its security shall be fitted with one-time electronic combination locks for reducing the instances of crew pilferage losses and ATM frauds.
- (2) The cash for loading in to an ATM machine shall be collected from the Bank on previous day or in the first half of the day so that operations can be concluded before the time stipulated in sub-rule (3).

- (3) No cash loading of the ATMs or cash transportation activities shall be done-
 - (a) after 9 PM in urban areas;
- (b) after 6 PM in rural areas; and
- (c) before 9 AM or after 4 PM in the districts notified by the Central Government as Left Wing Extremism (LWE) affected areas.

THE FIRST SCHEDULE

[See Rule 4(1)]

DESIGN AND SPECIFICATION FOR SECURED CASH VANS

- (a) Make.- The cash van shall—
 - (i) be a Light Commercial Vehicle, with an engine capacity of not less than 2200 CC, preferably turbocharged;
 - (ii) be not more than seven years old;
 - (iii) have tubeless tyres;
 - (iv) have a ground clearance of not less than 190 mm; and
 - (v) Accommodate minimum of five passengers.
- (b) **Layout**. —The cash van shall have the compartment for storing cash, physically separated and locked from the passenger compartment unit;
- (c) Cash compartment security.-
 - (i) The cash compartment should be inaccessible from outside the van unless operated internally through manual or electronic lock and cash compartment is specially reinforced
 - with steel with only one door and grill gate;
- (ii) the entrance of the cash compartment shall be from the rear side to ensure proper visibility, operational feasibility and CCTV surveillance;
 - (iii) all windows and wind screen shall have wire mesh protection of not more than one square inch and each window mesh shall have a circular porthole of six inches diameter for use of weapons;
 - (iv) the panic switches for operating the hooter are available with the driver and other occupants.
 - (d) **Cash box security.** Each of the cash boxes shall be secured to the floor with separate chains and have locks that can be opened or locked only by using separate keys kept with different custodians and cash for each bank shall be carried, preferably, in a separate box with the name of the bank written on it.
 - (e) Other security features.-
 - (i) The cash van shall be provided with a small CCTV system with at least five days recording facility and three cameras installed in front, rear and inside of the cabin.
 - (ii) A security alarm with GSM based auto-dialer shall be provided with a motorized siren.
 - (iii) The cash van shall be equipped with hooter, fire extinguishers and emergency lights to ensure quick reaction in case of an attack.

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 7 (1)(a)]

TRAINING FOR PERSONNEL APPOINTED OR ENGAGED IN CASH TRANSPORTATION ACTIVITIES

- a) Basics of cash handling and cash transportation activities.-
 - (i) Scope of service.
 - (ii) Team composition.
 - (iii) Role of driver, armed guard, cash custodian.
 - (iv) Functioning of cash vans.
 - (v) Contact details of concerned agencies.
 - (vi) Threat and risks involved.
 - (vii) Reporting procedure.
- **b)** Threat and risks,-
 - (i) Criminal and miscreant action.
 - (ii) Tailing by vehicle-borne criminals.
 - (iii) Specific threats to stationary and moving vehicle.
 - (iv) Insider's threat.
 - (v) Fraudulent practices by team members.
 - (vi) Loss of life and medical emergency.
 - (vii) Road accident and vehicle breakdown.
 - (viii) Fire accident.
- (c) Safety and security of cash van,-
 - (i) In-built safety features of the cash van carrying cash and valuables.
 - (ii) Cash boxed for carrying cash and valuables.
 - (iii) Locking and security systems.
 - (iv) Weapon and ammunition.
 - (v) Communication equipment.
 - (vi) Global Positioning System.
 - (vii) Fire extinguishers.
 - (viii) Distress alarm.
 - (ix) First-aid kit.
- (d) Agencies. -
 - (i) Controlling Authority under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005).
 - (ii) Police station, PCR vans, police helpline.
 - (iii) Controlling supervisor and operations manager.
 - (iv) Concerned Bank representative.

- (v) Ambulance and hospital services.
- (e) Weapons, ammunition and documents.-
 - (i) Minimum 12 bore DBBL shot gun should be provided to the guards. Gun must be test fired at least once in two years. Gun cartridges must be replaced once in 02 years. Gun must be checked and certified by a Government approved armourer.
 - (ii) Documents-gun license, identity card and permission to carry weapon during restrictions imposed by authorities.
 - (iii) Real weapons carried by miscreants.
 - (iv) Other objects which can be used as weapon by miscreants.
 - (f) Emergency and incident response.-
 - (i) Distress alarm procedure.
 - (ii) Seeking help from concerned agencies.
 - (iii) Use of weapon to deter and resist criminals and miscreants.
 - (iv) Ensure safety of team members and consignment.
 - (v) Disengage from situation and drive vehicle to safety.
 - (vi) Evacuation of the injured.
 - (g) Other internal organizational procedures.-
 - (i) Antecedent check procedure.
 - (ii) The Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) and benefits.
 - (iii) The Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and benefits.
 - (iv) The Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and benefits.
 - (v) Leave entitlement and application procedure.
 - (vi)Other company rules.
 - (vii)Obligations as employee.

[&]quot;No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."